

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-3862 / 2025

मनोहर लाल बारिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.08.2025

आदेश की दिनांक : 01.09..2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर : श्री संजीव सिंघल, केवियटर

समक्ष :- पूनम दरगन, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण नायब तहसीलदार छोटीसरवा जिला बांसवाड़ा में किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 15.10.2024 (अनुलग्नक-2) के द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यालय, उप तहसील छोटी सरवा जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है। अपीलार्थी के कार्यग्रहण करने के 8 माह पश्चात ही प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2025 (अनुलग्नक-1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण एसडीएम कार्यालय, सारदा जिला सलूमबर में बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के कर दिया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी भी कार्मिक का पदस्थापन नहीं किया गया है। अपीलार्थी सिकल सेल एनीमिया की गंभीर बीमारी से पीड़ित है, जिसका बांसवाड़ा में निरन्तर ईलाज चल रहा है। अपीलार्थी सिकल सेल आर्थराइटिस से भी पीड़ित है। जिससे अपीलार्थी को चलने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अपीलार्थी रीढ़ की हड्डी के एल1, एल2, एल4 एवं एल5 में भी बीमारी से पीड़ित है, जो

अस्ति मज्जा विकार के कारण है (अनुलग्नक-3)। अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोयाजस, बांसवाड़ा में अध्यापक के पद पर कार्यरत है (अनुलग्नक-4)। उनका कथन है कि सरकार की नीति अनुसार यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, तो उन्हें एक ही स्थान पर पदस्थापित किया जाना चाहिए। नीति अनुसार अपीलार्थी और उसकी पत्नी दोनों जिला बांसवाड़ा में कार्यरत है, लेकिन प्रत्यर्थी विभाग उक्त स्थानान्तरण नीति के विपरीत जाकर अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.08.2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर नायब तहसीलदार कार्यालय, उप तहसील छोटीसरवा जिला बांसवाड़ा में समस्त वेतन सहित कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।
4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायाहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 2 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 07.08.2025 (अनुलग्नक-1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(पूनम दरगन)
सदस्य (न्यायिक)